

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
बि. पू. भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल टिकटेन
म.प्र. - 108 भोपाल-03-05.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में,—

(क) भाग (ख) के उप नियम (1) का लोप किया जाए;

(ख) भाग (ख) के उप नियम (2) के खण्ड (क) में मद क्रमांक (एक) और (तीन) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए; और

(ग) भाग (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) जिले और उससे लगे हुये जिलों के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा। वनोपज का अन्य गंतव्य तक परिवहन करने के लिए अभिवहन पास इस संबंध में डिवोजनल फारेस्ट ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.”.

(घ) भाग (घ) में, शब्द तथा अंक "45 दिन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 दिन" स्थापित किए जाएं।

2. नियम 14 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, काष्ठ पर ऐसे चिन्ह लगाए जाने के लिए फीस विहित कर सकेगी।"

3. नियम 17 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश में आयात के लिए काष्ठ की ऐसी प्रजाति या लघु वनोपज विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके लिये आयातकर्ताओं को वन विभाग में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाना अपेक्षित होगा, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी काष्ठ की प्रजाति या लघु वनोपज आयात करने का आशय रखता है स्वयं को उस क्षेत्र के जहां वनोपज आयात की जाना है, डिवीजनल फारेस्ट आफीसर के कार्यालय में रजिस्टर करवाएगा।"

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) अधिसूचित वनोपज आयात करने वाला व्यक्ति उसका तिमाही लेखा संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को प्ररूप ड में प्रस्तुत करेगा।"

4. नियम 22 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) ऐसे मामलों में जहां, वनोपज जिसकी बाबत् अपराध किया गया है, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या सरकार की संपत्ति होते हुए भी, ऐसी वनोपज का मूल्य एक हजार रुपये से कम हो और यदि अपराधी ने पहली बार अपराध किया हो, तब मामला, दस हजार रुपये की राशि या यान के मूल्य, जो भी कम हो, के भुगतान पर तिसी अधिकारी द्वारा जो सब-डिवीजनल फारेस्ट आफीसर की पद त्रेणी से निम्न पद त्रेणी का न हो, प्रशमन किया जा सकेगा। अपराध प्रशमन करने के पश्चात् अपराधी के विरुद्ध कोई और कार्यवाइ नहीं की जाएगी। अभिग्रहीत वनोपज के बाल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी, यदि वह सरकार की संपत्ति न हो या उसके मूल्य का भुगतान कर दिए जाने पर, जैसी भी स्थिति हो।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्न पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 16 मई 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्न पुरवार, सचिव।

Bhopal, the 16th May 2005

No. F-30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 4,—

- (a) sub-rule (1) of part (B) shall be omitted;
- (b) in clause (a) of sub-rule (2) of part (B), item No. (i) and (iii) and entries relating thereto shall be omitted; and
- (c) for part (c), the following part shall be substituted, namely:—

"(c) The Gram Panchayat, or a person authorised by it, shall issue the transit pass for Transporting the forest produce within the district and the adjoining districts. The transit pass for transporting Forest produce to other destinations shall be issued by a Forest Officer authorised by the divisional Forest Officer in this regard.".

(d) in part (D), for the figures and word "45 days" the figures and word "30 days" shall be substituted.

2. In rule 14, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the State Government may prescribe a fee for placing such a mark on the timber."

3. In rule 17,—

"(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government may by Notification specify such species of timber or

minor Forest produce for import in Madhya Pradesh for which the importers shall be required to get themselves registered with the Forest Department. Any person who intends to import such species of timber or minor Forest produce shall get himself registered in the Office of the Divisional Forest Officer of the area, where the forest produce is to be transported."

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The person importing the notified Forest produce shall submit a quarterly account of the same to the concerned Divisional Forest Officer in form E".

4. In rule 22, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) In such cases, where the forest produce in respect of which an offence has been committed, is not the property of the government or despite being the property of government, the value of such forest produce is less than one thousand rupees and if the offender has committed the offence for the first time, then the case can be compounded on payment of the sum of ten thousand rupees or the value of the vehicle, whichever is less, by an officer not below the rank of sub-divisional forest officer. After compounding the offence, no further action shall be taken against the offender. The seized forest produce may be released only if it is not the property of the Government or on payment of the value thereof, as the case may be."

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तु के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती हैं, अर्थात्:—

निम्नलिखित प्रजातियों का काष्ठ :

- | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------|
| (एक) | नीलगिरी | — | यूकेलिप्टस प्रजातियां |
| (दो) | कैसुरिना | — | कैसुरिना इक्वेजेटिफोलिया |
| (तीन) | सूबबूल | — | ल्यूसेनिया प्रजातियां |

(चार)	पापलर	—	पापुलस प्रजातियां
(पांच)	इजरायली बबूल	—	एकेशिया टॉरटिलिस
(छह)	विलायती बबूल	—	प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा
(सात)	बबूल	—	अकेशिया निलोटिका
(आठ)	नीम	—	अजाडरका इंडिका
(नौ)	आम	—	मैंजीफेरा इंडीका
(दस)	आयातित/शंकुधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन)	की	अन्य समस्त प्रजातियां, जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, चाहे वे किसी अन्य नाम से ही जानी जाती हों।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 16 मई 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 16th May 2005

No. F-30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby exempts the following species of forest produce from the operation of the said rules, namely:—

Timber of following species :

(i)	Neelgiri	—	Eucalyptus species
(ii)	Casuarina	—	Casuarina equisetifolia
(iii)	Subabul	—	Leucenea sps.
(iv)	Poplar	—	Populus sps.
(v)	Israelii Babul	—	Acacia tortilis
(vi)	Vilayati Babul	—	Prosopis Juliflora
(vii)	Babul	—	Acacia Nilotica
(viii)	Neem	—	Azadirachta Indica
(ix).	Mango	—	Mangifera Indica
(x)	All other species of imported/ coniferous timber (Chir, Kail, Devdar and Pine)	which are not found in Madhya Pradesh, even if they are known by some other names.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.